

न्यायालय द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव।

उपस्थित— मीनाक्षी सोनकर, उ० प्र० न्यायिक सेवा ।

आपराधिक वाद संख्या—2424/19

धारा—498ए, 323, 494 भा०द०सं० व धारा—3/4 डी०पी०एक्ट

थाना—कोतवाली, जिला उन्नाव

गुलशन जहाँ, उम्र 26 वर्ष पुत्री मेराज रसूल म०नं०—394/01 ए०बी० नगर थाना
कोतवाली, जिला उन्नाव। —परिवादिनी

प्रति

1. मोहम्मद रिजवान पुत्र मोहम्मद इकबाल, उम्र 40 वर्ष। निवासीगण दरगाह रोड घंटा
2. मोहम्मद इकबाल पुत्र मुन्ने, उम्र 55 वर्ष । बेग गड़इया फाजिलनगर म०
3. मीना पत्नी मोहम्मद इकबाल, उम्र 41 वर्ष । नं०—385 लखनऊ थाना
4. सबा पुत्री रज्जन पत्नी रिजवान, उम्र 30 वर्ष । सहादतगंज जिला लखनऊ।

.....विपक्षीगण

निर्णय

वादिनी गुलशन जहाँ की ओर से प्रस्तुत परिवाद पर अभियुक्त मोहम्मद रिजवान का विचारण धारा—498ए, 323, 494 भा०द०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व अभियुक्तगण मोहम्मद इकबाल व मीना का विचारण धारा—498ए, 323 भा०द०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व अभियुक्त सबा का विचारण धारा—494 भा०द०सं० के दण्डनीय अपराध हेतु किया गया।

संक्षेप में तथ्य यह है कि वादिनी की शादी दि०—08.02.04 को मोहम्मद रिजवान के साथ हुई थी जिसमें उसके पिता ने तीन लाख रुपये खर्च किये। वादिनी बिदा होकर ससुराल गई तो अभियुक्तगण दो लाख रुपये नकद बिजनेस हेतु तथा हीरो हाण्डा मोटर साइकिल की मांग की। उक्त मांग पूरी न होने पर अभियुक्तगण वादिनी को मारपीट कर प्रताड़ित करते रहे। मोहम्मद रिजवान ने वादिनी को बिना तलाक दिये सबा नाम की लड़की से अवैध सम्बन्ध बनाकर दूसरी शादी कर ली। दि०—20.06.12 को वादिनी के पिता वादिनी को लेने पहुंचे तो अभियुक्तगण ने वादिनी के पिता को बेइज्जत किया तथा वादिनी का सारा जेवरात व दहेज का दिया हुआ सामान रख लिया और घर से भगा दिया। उसके बाद फैसले की बात हुई और फैसला औलिया सहीद बाबा की मजार उन्नाव में होना तय हुआ। दि०—25.06.12 को समय प्रातः 11 बजे दिन में दोनों पक्ष आये। पंचायत में बातचीत होने पर अभियुक्तगण ने वादिनी के पिता को गन्दी—गन्दी गालियां दी। विरोध करने पर रिजवान ने वादिनी को बेत से मारना शुरू कर दिया और लड़ाई झगड़ा अभियुक्तगण करने लगे और वादिनी के माता पिता को भी मारा पीटा। वादिनी के शोर पर काफी

लोग इकट्ठा हो गये और वादिनी व उसके परिवार के लोगों के बचाया। तब अभियुक्तगण ने वादिनी व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर चले गये। इस सम्बन्ध में वादिनी ने थाना कोतवाली व पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब यह परिवाद न्यायालय में दायर किया।

वादिनी ने अन्तर्गत धारा-200 दं०प्र०सं० के तहत स्वयं का बयान लेखबद्ध कराया तथा धारा-202 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत मेराज रसूल पी०डब्लू०-1 एवं मो०रजी पी०डब्लू०-2 को प्रस्तुत किया गया।

विद्वान न्यायालय श्रीमान् पंचम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए तलबी आदेश दिनांकित 25.02.13 के द्वारा अभियुक्त मोहम्मद रिजवान को धारा-498ए, 323, 494 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व अभियुक्तगण मोहम्मद इकबाल व मीना को धारा-498ए, 323 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा अभियुक्त सबा को धारा-494 भा०दं०सं० के अपराधों के विचारण हेतु तलब किया गया।

अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुये उनके द्वारा अपनी जमानतें करायी गयी।

धारा-244 दं०प्र०सं० के स्तर पर वादिनी गुलशन जहाँ का बयान पी०डब्लू०-1, मेराज रसूल का बयान पी०डब्लू०-2, मो०रजी का बयान पी०डब्लू०-3 के रूप में लिखा गया।

दिनांक 09.08.16 को अभियुक्त मोहम्मद रिजवान के विरुद्ध आरोप धारा-498ए, 323, 494 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व अभियुक्तगण मो०इकबाल व मीना के विरुद्ध आरोप धारा-498ए, 323 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा अभियुक्ता सबा के विरुद्ध आरोप धारा-494 भा०दं०सं० का विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया और विचारण की मांग की।

धारा-246 भा०दं०सं० के स्तर पर वादिनी गुलशन जहाँ का बयान पी०डब्लू०-1, मेराज रसूल का बयान पी०डब्लू०-2 व मो०रजी का बयान पी०डब्लू०-3 के रूप में लिखा गया।

अभियुक्तगण का बयान 313 दं०प्र०सं० दिनांक 20.03.18 को दर्ज किया गया। जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताया तथा गवाहों द्वारा रजिशन बयान दिया जाना कहा। प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य न प्रस्तुत करते हुए अपने विशेष कथन में कुछ नहीं कहा।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

वादिनी गुलशन जहाँ, पी०डब्लू०-1 द्वारा अपने बयान धारा-244 दं०प्र०सं०

में परिवार के कथनों का पूर्ण रूप में समर्थन करते हुए यह कथन किया गया है कि मेरी शादी मो०रिजवान के साथ दि०-०८.०२.०४ को हुई थी। मेरे निकाह में मेरे माता पिता ने दहेज में लगभग तीन लाख रुपये खर्च किये थे। लेकिन जब मैं बिदा होकर गई तो मेरी ससुराल में मो०रिजवान, मो०इकबाल, सास मीना, सुभान, सुफियान, ननद नाजिया अतिरिक्त दहेज के रूप में दो लाख रुपया नगद और एक मोटर साइकिल मांग रहे थे। मैंने यह बात अपने माता पिता को बतायी थी तो मेरे माता पिता ने ससुरालीजनों को समझाने की कोशिश की लेकिन उक्त सभी लोग मुझे अतिरिक्त दहेज के लिये प्रताड़ित करते थे व मारपीट करते थे तथा खाना पीना नहीं देते थे। मेरे द्वारा अतिरिक्त दहेज न दे पाने के कारण रिजवान ने अपने सभी मुल्जिमानों के सहयोग से सबा नाम की लड़की से शादी कर ली थी। मैंने उक्त शादी का विरोध किया और अपने माता पिता को अपनी ससुराल बुलाया। मेरी माता के समझाने के बावजूद ससुरालीजनों ने दि०-२०.०६.१२ को ससुराल में मेरी व मेरे माता पिता की बेइज्जती करके मेरा समस्त स्त्रीधन व जेवरात छीन कर सभी मुल्जिमानों ने घर से भगा दिया। फिर भी मेरे माता पिता व मैंने प्रयास किया कि सुलह हो जाये।

घटना दि०-२५.०६.१२ दिन लगभग ११ बजे की है। मेरे मोहल्ले औलिया सहीदबाबा की मजार उन्नाव में मो०रिजवान, मो०इकबाल, मीना, सुभान, सूफियान, रज्जन और दो अज्ञात लोग आये थे। जब मैंने व मेरे घरवालों ने मुझे बिदा कराकर ले जाने को उक्त लोगों से कहा तो उक्त सभी लोगों ने कहा कि बिना अतिरिक्त दहेज लिये हुए मुझे रखने को तैयार नहीं हुए और मां बहन की गन्दी-गन्दी गालियां देने लगे। मेरे विरोध करने पर मुझे व मेरे माता पिता को मारने पीटने लगे। मेरे मोहल्ले वालों व गवाहान ने मुझको बचाया। तब मुल्जिमान घटना की कहीं शिकायत करने पर जान से मार डालने की धमकी देकर चले गये। मेरी एक पुत्री भी है जो मेरे पास रहती है। मेरा मेडिकल भी हुआ था।

साक्षी गुलशन जहां द्वारा अपने बयान धारा-२४६ दं०प्र०सं० में यह कथन किया गया है कि मैं शादी से ही अपने ससुराल में खुशहाल नहीं रह रही थी। खुशहाल न रहने वाली बात अपने माता पिता को बताई थी। हमारा व रिजवान का दहेज को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। मेरी शादी दि०-०८.०२.०४ को हुई थी। मारने पीटने की रिपोर्ट मैंने कहीं नहीं लिखाई थी। मैं रिजवान के साथ रहना चाहती हूँ लेकिन मेरी जान का खतरा है। रिजवान से खतरा है व उनके परिवारवालों से भी खतरा है। अगर रिजवान मेरे बताये हुए स्थान पर मुझे रखे तो भी मैं रिजवान के साथ नहीं रहूंगी क्योंकि मेरी जान का खतरा है। अगर न्यायालय भी अपनी जिम्मेदारी से भेजे तो भी मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी जान का खतरा है। अगर रिजवान मुझे मायके में लेकर रखे तो भी मैं नहीं रहूंगी क्योंकि मेरी जान का खतरा है। मैं तलाक रिजवान को नहीं देना चाहती हूँ। वह दे तो कोई बात नहीं। मैं अपने मायके में

खुशहाल नहीं हूँ। मेरी बेटी आठ साल की हो गई है। वह कक्षा 01 में पढ़ रही है। उसकी पढ़ाई का खर्चा जो मुझे गुजारा भत्ता मिलता है उसी से मैं करती हूँ। जब ससुराल वालों ने मेरे साथ मार पीट किया था तब मैंने अपने मायके वालों को दि०-20.06.12 को बुलाया था। उस समय मेरे पापा गये थे। मैंने पापा से पूरी बात बतायी थी। वहां पर मुझे व मेरे पापा को मारा और घर से भगा दिया। इस घटना की सूचना मैंने लखनऊ के किसी थाने में नहीं की थी। आगे इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि मुझसे जो लखनऊ की मारपीट की गई थी उसका मैंने मेडिकल नहीं कराया था। इसी घटना के सम्बन्ध में मेरे परिवार वालों ने मीटिंग औलिया शाह बाबा की मजार पर रखा था। उस मीटिंग में मेरे पापा, अम्मी, दो मामू थे। जीजा बड़े वाले शामिल थे। कुल मिलाकर 7-8 लोग थे। चूंकि ससुरालीजन मेरे घर पर आने को तैयार नहीं थे इसलिये मजार पर यह मीटिंग रखी गयी थी। वहां पर सुलह समझौते की बात हमलोगों ने की थी। वहां पर यह लोग दो लाख व मोटर साइकिल के लिए कह रहे थे, दो तब सुलह करेंगे। उसी के बाद मारपीट होने लगी। यह मार पीट 10-15 मिनट चली थी। इस मार पीट में लात घूसों से मारपीट हुई थी। मुझे व मेरे माता पिता को चोटें आई थी जिसमें केवल मेरी डाक्टरी हुई थी। माता पिता का मेडिकल कराना याद नहीं रहा।

गवाह मेराज रसूल, पी०डब्लू-2 द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा-244 द०प०सं० में परिवादिनी के परिवादपत्र व उसके बयान का समर्थन करते हुए यह कथन किया है कि मैंने अपनी पुत्री गुलशन जहाँ की शादी दि०-08.02.04 को मो०रिजवान के साथ लखनऊ में की थी। मैंने अपनी लड़की शादी में रिजवान व उसके घरवालों को दहेज में समस्त घरेलू सामान जेवरात व कपड़े वगैरह मिलाकर करीब तीन लाख रुपये खर्च किये थे। गुलशन जहाँ को ससुराल में मो०रिजवान, इकबाल, मीना सास, देवर सुभान, सूफियान, ननद नाजिया कम दहेज का ताना देते थे और अतिरिक्त दहेज के रूप में दो लाख रुपये नगद व एक मोटर साइकिल की मांग करते थे तथा इसके अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मेरी लड़की को शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना व मारपीट करते थे। गुलशन जहाँ के एक पुत्री भी है। मैंने व मेरे परिवारवालों ने भी रिजवान व उक्त सभी लोगों को कई बार समझाया बुझाया कि हमलोगों की हैसियत अब अतिरिक्त दहेज देने की नहीं है लेकिन उक्त लोगों के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी बीच रिजवान ने सबा नाम की महिला से अवैध सम्बन्ध बनाकर गुलशन जहाँ को बिना तलाक दिये व गुलशन जहाँ की बिना मर्जी के दूसरी शादी कर ली। इसमें रज्जन का भी पूरा सहयोग था। दि०-20.06.12 को मेरी पुत्री को लखनऊ में रिजवान व उपरोक्त सभी लोगों ने मारा पीटा। सूचना पाकर हमलोग ससुराल पहुंचे तो रिजवान व उसके घरवालों ने हमलोगों को बेइज्जत करते हुए गुलशन जहाँ का समस्त सत्री धन जेवरात छीनकर फटे हाल

हालत में घर से भगा दिया। मैंने फिर भी सुलह समझौते का प्रयास किया।

अन्तिम घटना दि०-25.06.12 दिन लगभग 11.00 बजे उन्नाव में मेरे मोहल्ले के औलिया साहब बाबा की मजार की है। मो० रिजवान, इकबाल, मीना, सुमान, सूफियान, नाजिया, रज्जन, सवा और दो अज्ञात लोग आये। मैंने व मेरी लड़की ने बिदा कराकर ले जाने को कहा तथा शिकायत भी की कि लड़की को क्यों मारते पीटते थे और दूसरी शादी क्यों कर ली। इस पर उक्त सभी लोग एकराय होकर मैं बहन की गालियां देते हुए गुलशन जहां को मारने लगे। रिजवान ने बेत से मारा। मैंने बचाने की कोशिश की तो मुझे भी मारा। शोर गुल पर परिवार वाले व मोहल्ले वालों ने दौड़कर बचाया। तब उक्त लोग घटना की कहीं शिकायत करने पर जान से मार देने की धमकी देकर तथा बिना दहेज की मांग पूरी किये रखने को तैयार नहीं थे और चले गये।

साक्षी मेराज रसूल द्वारा अपने बयान धारा-246 दं०प्र०सं० में यह कथन किया गया है कि मैंने अपनी पुत्री की शादी 14 वर्ष पूर्व किया था। एक मुकदमा गुजारा का व नातिन का एक मुकदमा व इसके अलावा एक मुकदमा और किया था। अभी तक किसी मुकदमा में निर्णय नहीं हुआ है। गुजारा वाले मुकदमें में फैसला हो गया है। कभी कभार पैसे देते हैं। गुजारे के मुकदमें में एक लाख चार हजार रुपये में से 70-72 हजार रुपया मिल चुका है। मैंने अपने बयान में यह बात लिखवायी है कि रिजवान वगैरह दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। रिजवान व गुलशन जहां के बीच दहेज को लेकर झगड़ा होता था। मैंने थाने में दहेज की शिकायत नहीं की थी कि शायद यह लोग सम्भल जायें। यह कहना गलत है कि ससुराल में मेरी लड़की की तबियत खराब रहती थी। मेरी पुत्री शादी के बाद आठ साल ससुराल में रही। सब को मैं जानता हूँ। मैंने अपने बयान में यह बात लिखायी है कि रिजवान ने सब से शादी की है। रिजवान ने सब से लगभग एक वर्ष बाद शादी की थी। उस समय मेरी पुत्री ससुराल में ही मौजूद थी लेकिन उसको इस बात की जानकारी नहीं थी। मुझे व मेरी पुत्री को तीन वर्ष बाद दूसरी शादी की जानकारी हुई थी। दुबई से जब 15 दिन के लिये आते थे तब भी मेरी पुत्री के साथ अत्याचार करते थे। इस अत्याचार की भी कोई कभी भी जानकारी थाने में नहीं दिया। आगे इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि औलिया शाह बाबा की मजार पर पहुंचकर रिजवान वगैरह ने दो लाख रुपया व मोटर साइकिल चाहिये। इसके अलावा कोई भी बात नहीं हुई और हम समझाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। फिर हमलोगों के बीच मारपीट होने लगी। रिजवान के हाथ में बेत था। यह मुझे जानकारी नहीं है कि रिजवान यह बेत कहां से लाये थे। रिजवान पैर से लगड़े नहीं है, सही सलामत हैं। मैं भीड़ में नहीं देख पाया था कि रिजवान ने मुझे बेत मारे थे कि नहीं और गुलशन जहां को बेत मारा था। गुलशन जहां को कितने बेत मारे मैं भीड़ में नहीं देख पाया। मुझे इस समय याद नहीं है कि भीड़ में

कुल कितने आदमी थे।

गवाह मो०रजी, पी०डब्लू-३ द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा-244 दं०प्र०सं० में परिवादिनी के परिवादपत्र व उसके बयान का समर्थन करते हुए यह कथन किया है कि गुलशन जहां की शादी रिजवान के साथ हुई थी। गुलशन जहां के माता पिता ने इस शादी में दहेज के रूप में लगभग तीन लाख रूपया खर्च करके सामान वगैरह मो०रिजवान व उसके परिवारवालों को दिया था। गुलशन जहां को उसके ससुराल वाले पति मो०रिजवान व ससुर इकबाल, सास मीना उसका भाई देवर सूफियान व दूसरा देवर और ननद दहेज में दो लाख व मोटर साइकिल अतिरिक्त मांग रहे थे। इस मांग को लेकर गुलशन जहां को उक्त सभी लोग बहुत अधिक शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे तथा मारपीट करते थे। हमलोगों ने उक्त ससुरालीजनों को समझाने बुझाने का प्रयास किया लेकिन ससुरालीजनों की प्रताड़ना गुलशन जहां पर बन्द नहीं हुई। गुलशन जहां को उसी समय एक लड़की हुई जो कि गुलशन जहां के पास है। इसी बीच मो०रिजवान ने सबा नाम की एक महिला के साथ सम्बन्ध बनाकर गुलशन जहां को बिना बताये शादी भी कर ली। जब हमलोग प्रताड़ना की सूचना पाकर गुलशन जहां की ससुराल पहुंचे थे तो वहां भी उक्त सभी लोगों ने गुलशन जहां के साथ-साथ हम सभी की भी बेइज्जती की थी तथा गुलशन जहां का समस्त स्त्री धन जेवरात छीनकर उसी हालत में गुलशन जहां की उक्त सभी लोगों ने भगा दिया। हमलोग फिर भी सुलह समझौते का प्रयास करते रहे तो दि०-25.06.12 को समझौते हेतु दिन लगभग 11.00 बजे तालिब सराय मोहल्ले में रिजवान, इकबाल, मीना, सूफियान, हाशमी और दो तीन लोग और भी थे। उनके नाम याद नहीं है औलिया शहीद बाबा मजार के पास आये और पंचायत के लिये बैठक हुयी तो हमलोगों ने गुलशन जहां को बिदा कराने के लिये कहा तो उक्त सभी लोग मारपीट पर उतारू हो गये और मां बहन की गालियां देते हुए गुलशन जहां से मारपीट करने लगे। हमलोगों ने गुलशन जहां को बचाया था तो उक्त सभी लोग टटना की कहीं शिकायत करने पर जान से मार देंगे। इस मारपीट में रज्जन भी आया था। मारपीट से गुलशन जहां को चोटें आयी थी।

साक्षी मो०रजी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा-246 दं०प्र०सं० में यह कथन किया गया है कि मैं किसी के कहने पर गवाही देने नहीं आया हूँ। मैं गुलशन जहां का मामू हूँ। मैं गुलशन जहां की शादी में शामिल हुआ था। शादी के सभी कार्यक्रमों में मैं शामिल हुआ था। मैं गुलशन जहां की ससुराल दसियों बार गया हूँ। मैं चौथी के कार्यक्रम में नहीं गया था। शादी के लगभग 2-3 साल बाद जब लड़ाई झगड़ा हुआ था तब मैं गुलशन जहां की ससुराल गया था। हम और मेरे बहनोई गये थे। हमलोग इनलोगों को समझाकर वापस आ गये थे। मुझे याद नहीं है कि उसके बाद मैं गुलशन जहां की ससुराल कब गया था। फिर लड़ाई झगड़ा हुआ था। तब गया था।



मारपीट किया था और दो लाख रुपये की मांग कर रहे थे। मैं अपनी भांजी को घर ले आया था। उक्त घटना दि०-20.06.12 को हुई थी। तब हम व मेरे बहनोई गुलशन जहां को लेकर आये थे। उक्त घटना के विषय में मैंने लखनऊ में कोई कार्यवाही नहीं किया था। तब से गुलशन जहां अपने मायके में रह रही है। उसके बाद वह ससुराल नहीं गयी। गुलशन जहां की तबियत खराब नहीं रहती थी। आगे इस साक्षी द्वारा इस कथन किया गया है कि रिजवान के मकान में दो मंजिल तक मैं गया हूँ। उसके ऊपर मैं नहीं गया। गुलशन जहां व रिजवान दूसरी मंजिर पर रहते थे। जब लड़ाई झगड़ा होता था तब प्रेमपूर्वक कहां रहते थे। रिजवान के माता पिता व बाकी लोग नीचे वाली मंजिल में रहते थे। गुलशन जहां का सास ससुर से व सभी लोगों से लेना देना रहता था। सभी लोग गुलशन जहां से झगड़ा करते थे तो प्रेमपूर्वक कहां रहते थे। आगे इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि औलिया शहीद की मजार पर मैं भी उपस्थित था। वहां पर मैं व मेरे बहनोई दो चार लोग मोहल्ले के थे, नाम नहीं याद है। रिजवान, सुभान, सूफियान, मीना, इकबाल दो तीन लोग और भी जिनके नाम मुझे नहीं मालूम है, थे। आते ही लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। पहले बात चीत हुई थी। बात चीत के मुखिया मैं व मेरे बहनोई थे। बात चीत चल ही रही थी। रिजवान के हांथ में डण्डा था। वह मारने लगा। डण्डा रिजवान कहां से लाये थे, यह मैंने नहीं देखा। उस डण्डे से सबको नहीं गुलशन जहां को मारने लगे। मैंने नहीं बचाया। मैं वहां बैठा था। मोहल्ले के लोगों ने बीच बचाव कराया था। गुलशन जहां के खून नहीं बह रहा था लेकिन चोटें आयी थी। गुलशन जहां को 2-4-5 मिनट तक मारा था। इसके बाद रिजवान लोग चले गये थे।

परिवादिनी गुलशन जहां का कथन है कि उसकी शादी मो०रिजवान के साथ दि०-08.02.04 को हुई थी। पति व ससुराल वाले दिये गये दहेज से खुश नहीं थे व अतिरिक्त दहेज में उससे दो लाख रुपये व मोटर साइकिल की मांग करते थे और इसी मांग को लेकर परिवादिनी को मारते पीटते व प्रताड़ित करते थे। अभियुक्त मो०रिजवान द्वारा सबा से दूसरी शादी भी कर ली गई है। अभियुक्तगण पर आरोप है कि उनके द्वारा वादिनी मुकदमा गुलशन जहां से दहेज में दो लाख रुपये व मोटर साइकिल की मांग की गई तथा दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया जिस कारण अभियुक्तगण मो०रिजवान, मो०इकबाल व मीना को धारा-498ए, 323 भा०द०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित किया गया है तथा अभियुक्तगण मो०रिजवान व सबा को परिवादिनी गुलशन जहां के जीवनकाल में अनैतिक सम्बन्ध बनाकर बिना तलाक के पुनर्विवाह के कारण धारा-494 भा०द०सं० के अन्तर्गत आरोपित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि धारा-498ए भा०द०सं० को साबित करने हेतु परिवादिनी

को यह स्थापित करना होगा कि उसके पति व पति के नातेदारों द्वारा किसी सम्बन्धित व मूल्यवान प्रतिभू की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया तथा उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया। उल्लेखनीय है कि धारा-498ए भा0दं0सं0 को साबित करने हेतु परिवादिनी को यह भी साबित करना होता है कि जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो इस प्रकृति का है कि जिससे उस स्त्री को आत्म हत्या करने के लिए प्रेरित करने या उस स्त्री के जीवन, अंग व स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना रखता हो। अभियोजन को अपना मुकदमा संदेह से परे साबित करना अनिवार्य है। परिवादिनी का कथन है कि परिवादिनी के साथ उसके पति एवं सास ससुर द्वारा क्रूरता व मारपीट दहेज की मांग को लेकर की जाती थी इसलिये सर्वप्रथम यह साबित करना आवश्यक है कि क्या दहेज की मांग वादिनी से उसके पति व ससुराल वालों द्वारा की गई अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में परिवादिनी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मेरी ससुराल में मो0रिजवान, मो0इकबाल, सास मीना, सुभान, सूफियान तथा ननद अतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपये व मोटर साइकिल की मांग करते थे। इसके अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे व मारपीट करते थे तथा खाना पीना नहीं देते थे। मेरे द्वारा अतिरिक्त दहेज न दे पाने के कारण रिजवान ने अपने साथियों मुल्जिमानों के सहयोग से सबा नाम की लड़की से शादी कर ली थी। अपनी प्रतिपरीक्षा में परिवादिनी ने कथन किया है कि मैं शादी से ही अपनी ससुराल में खुश नहीं थी। हमारा व रिजवान का दहेज को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। मारपीट की मैंने कहीं रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। जब ससुराल वालों ने मेरे साथ मारपीट किया था तब मैंने अपने मायके वालों को दि0-20.06.12 को बुलाया जिसमें मेरे पापा आये थे। पापा से पूरी बात बता दी थी। वहां पर मुझे व मेरे पापा को मारा और घर से भगा दिया। बचाव पक्ष द्वारा प्रेच्छा किये जाने पर इस साक्षी द्वारा दहेज की मांग को लेकर स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि ससुराल में उससे दहेज की मांग की जाती थी और इसी दहेज की मांग को लेकर उसे मारपीट कर प्रताड़ित किया जाता था। परिवादिनी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में अपने पिता व मामा को साक्षी के रूप में परीक्षित कराया है जिनके द्वारा भी अपने बयानों में स्पष्ट रूप से अभियुक्त मो0रिजवान द्वारा दहेज की मांग करने व उस उक्त मांग को लेकर परिवादिनी के साथ दि0-20.06.12 को मारपीट कर घर से निकाल देने के सम्बन्ध में साक्ष्य दिया गया है।

बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि वादिनी द्वारा शादी के 8 साल बाद यह परिवाद दाखिल किया गया है जिससे अभियुक्तगण द्वारा शादी के 8 साल बाद दहेज की मांग किया गया साबित नहीं हो रहा है। यह उल्लेखनीय है कि धारा-498ए भा0दं0सं0 का अपराध एक सतत श्रेणी का अपराध है। देखा जाये तो

प्रस्तुत प्रकरण पारिवारिक/वैवाहिक है। परिवादिनी स्वीकार्य रूप से अभियुक्त की पत्नी है। भारतीय संदर्भ में कोई भी पत्नी अपने पति व घरवालों के खिलाफ मुकदमा योजित नहीं करेगी। कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति पारिवारिक मामलों में सुलह की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए कार्य करता है। यदि इस प्रकार के पारिवारिक मामलों में वादिनी द्वारा ससुराल एवं मायके में रहते हुए सुलह समझौता का प्रयास किया गया है तो इस तथ्य की पूर्ण रूप से अनदेखी नहीं की जा सकती है। परिवादिनी के पिता द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि उनके द्वारा मारपीट के सम्बन्ध में कोई भी रिपोर्ट या सूचना थाने पर नहीं दी गई। ताकि मामला सम्भल जाये और सुलह हो जाये। वादिनी द्वारा यह तथ्य अपनी प्रतिपरीक्षा में रखा गया है कि वह शुरू से ही ससुराल में खुश नहीं थी क्योंकि पति द्वारा दहेज में दो लाख रुपये व मोटर साइकिल की मांग की जा रही थी। खुशहाल न रहने वाली बात मैंने अपने माता पिता से बतायी थी। हमारा व रिजवान का दहेज को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। वादिनी द्वारा यह भी कहा गया है कि जब ससुराल वालों ने मेरे साथ मारपीट किया था तब मैंने अपने मायके वालों को दि०-20.06.12 को बुलाया था। उस समय मेरे पापा गये थे। मैंने पापा से पूरी बात बतायी थी। वहां पर मुझे व मेरे पापा को मारा और घर से भगा दिया। वादिनी से बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर ससुराल में दहेज मांगे जाने का कथन स्पष्ट रूप से किया है तथा यह भी स्पष्ट रूप से बताया है कि ससुराल में उसके साथ मारपीट होती थी जिसपर दि०-20.06.12 को जब उसने अपने पिता को बुलाया तब वहां पर उसे व उसके पिता को मारपीट कर घर से भगा दिया गया। वादिनी ने यह भी कथन किया है कि दोनों पक्षों मध्य सुलह समझौता कराने हेतु एक मीटिंग औलिया शाह बाबा की मजार पर रखी थी जिसमें वादिनी एवं उसके माता पिता व रिश्तेदार एवं उसके ससुराल से उसका पति, सास, ससुर व अन्य लोग आये थे। वहां पर भी दो लाख रुपये व मोटर साइकिल की मांग की गई व मना करने पर वादिनी के पति रिजवान द्वारा वादिनी व उसके माता पिता से मार पीट की गई जिसमें वादिनी को चोटें आयी। वादिनी के कथनों का पूर्ण समर्थन वादिनी की ओर से परीक्षित हुए उसके पिता द्वारा अपनी जिरह में किया गया है। साक्षी पी०डब्लू-2 जो वादिनी के पिता हैं, ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से वादिनी की ससुराल में दहेज की मांग किये जाने का कथन किया गया है तथा दहेज के लिये रिजवान द्वारा गुलशन जहाँ को प्रताड़ित किये जाने का भी कथन किया गया है। दहेज की शिकायत के सम्बन्ध में वादिनी के पिता द्वारा कथन किया गाय है कि उनके द्वारा थाने में दहेज की शिकायत इसलिये नहीं की गई कि शायद यह लोग आपस में सम्भल लाये। जिरह में इस साक्षी द्वारा यह भी कहा गया है कि अन्तिम बार मैं गुलशन को बिदा कराकर नहीं लाया था। मुझे फॉन द्वारा सूचना मिली थी तब हम वहां गये थे तो मेरे साथ भी गाली गलौज

किया था। तब भी सूचना नहीं दिया था कि शायद बात सम्भल जाये। इस साक्षी द्वारा भी अपनी जिरह में यह कहा गया है कि औलिया शाह बाबा की मजार पर पहुंचकर रिजवान वगैरह ने दो लाख रुपया व मोटर साइकिल की मांग की थी। इसके अलावा और कोई बात नहीं हुई और हम समझाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। फिर हमलोगों के बीच मारपीट होने लगी। रिजवान के हाथ में बेट था। यह मुझे जानकारी नहीं कि रिजवान यह बेट कहां से लाये थे। मैं भीड़ में नहीं देख पाया कि रिजवान ने मुझे बते मारे थे कि नहीं और गुलशन जहां को बेट मारा था। गुलशन जहां को कितने बेट मारे मैं भीड़ में नहीं देख पाया। इस साक्षी द्वारा भी अभियुक्त रिजवान द्वारा दहेज की मांग किये जाने व मारपीट किये जाने के कथनों को अपनी प्रतिपरीक्षा में साबित किया है। बचाव पक्ष वादिनी गुलशन जहां व उसके पिता साक्षी पी0डब्लू-2 मेराज रसूल से ऐसा कोई तथ्य लाने में सफल नहीं रहा है जिससे अभियुक्त रिजवान द्वारा वादिनी से दहेज की मांग किये जाने व दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने व प्रताड़ित करने के तथ्य पर किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो। वादिनी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में दृढ़तापूर्वक अभियुक्त रिजवान द्वारा दहेज मांगे जाने का कथन किया है।

जहां तक विलम्ब से परिवाद दर्ज किये जाने का सम्बन्ध है तो वादिनी मुकदमा व उसके पिता द्वारा अपनी साक्ष्य में बार-बार यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि उनके द्वारा पहले कहीं शिकायत इसलिये नहीं की गयी क्योंकि मामला सम्भल व सुलझ जाये। पारिवारिक मामलों में किसी भी पक्ष का प्रथम प्रयास मामला आपसी बातचीत से सुलझाना व निपटाना चाहते हैं जो एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। इस प्रकार के मामलों में तुरन्त परिणाम नहीं प्राप्त होता है। अतः इस मामले में भी यदि परिवाद दाखिल करने में विलम्ब हुआ है तो यह नहीं माना जायेगा कि वादिनी से दहेज की मांग नहीं की गयी व उसे प्रताड़ित नहीं किया गया। विलम्ब का सन्तोषजनक उत्तर वादिनी की ओर से दिया गया है। बल्कि इसके विपरीत बचाव पक्ष द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि वादिनी मुकदमा द्वारा गलत आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध परिवाद दाखिल किया गया है।

वादिनी की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू-3 मो0रजी, जो वादिनी के मामा हैं, ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि शादी के लगभग 2-3 साल बाद जब लड़ाई झगड़ा हुआ था तब मैं गुलशन जहां की ससुराल गया था। हम और मेरे बहनोई गये थे। हमलोग इनलोगों को समझाकर वापस आ गये थे। मुझे याद नहीं है कि उसके बाद मैं गुलशन जहां की ससुराल कब गया था। फिर लड़ाई झगड़ा हुआ था। तब गया था। मारपीट किया था और दो लाख रुपये की मांग कर रहे थे। मैं अपनी भांजी को घर ले आया था। उक्त घटना दि0-20.06.12 को हुई थी। तब हम

व मेरे बहनोई गुलशन जहां को लेकर आये थे। उक्त घटना के विषय में मैंने लखनऊ में कोई कार्यवाही नहीं किया था। तब से गुलशन जहां अपने मायके में रह रही है। उसके बाद वह ससुराल नहीं गयी। गुलशन जहां की तबियत खराब नहीं रहती थी। इस साक्षी द्वारा अपनी जिरह में यह भी कथन किया गया है कि झगड़े वाली बात मुझे गुलशन जहां ने फोन से बतायी थी। इतना मुझे याद नहीं है कि झगड़े वाली बात फोन पर शादी के कितने दिन बाद बतायी थी। औलिया शहीद की मजार पर मैं भी उपस्थित था। वहां पर मैं व मेरे बहनोई दो चार लोग मोहल्ले के थे, नाम नहीं याद है। रिजवान, सुभान, सूफियान, मीना, इकबाल दो तीन लोग और भी जिनके नाम मुझे नहीं मालूम है, थे। आते ही लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। पहले बात चीत हुई थी। बात चीत के मुखिया मैं व मेरे बहनोई थे। बात चीत चल ही रही थी। रिजवान के हाथ में डण्डा था। वह मारने लगा। डण्डा रिजवान कहां से लाये थे, यह मैंने नहीं देखा। उस डण्डे से सबको नहीं गुलशन जहां को मारने लगे। मैंने नहीं बचाया। मैं वहां बैठा था। मोहल्ले के लोगों ने बीच बचाव कराया था। गुलशन जहां के खून नहीं बह रहा था लेकिन चोटें आयी थी। इस साक्षी द्वारा भी परिवाद कथानक एवं वादिनी के द्वारा दिये गये साक्ष्य का समर्थन अपनी प्रतिपरीक्षा में किया गया है। इस साक्षी द्वारा ऐसा कोई कथन अपनी साक्ष्य में नहीं किया गया है जो वादिनी के साक्ष्य से किसी भी प्रकार से भिन्न हो। तीनों साक्षियों द्वारा अभियुक्त रिजवान द्वारा दहेज में दो लाख रुपये व मोटर साइकिल की मांग किये जाने का समर्थन किया है एवं दि०-20.06.12 को वादिनी को मारपीट कर घर से निकाल देने के सम्बन्ध में एक सामान्य साक्ष्य दिया गया है। बचाव पक्ष को पूर्ण अवसर प्राप्त था कि वह किसी प्रकार का विरोधाभास उनके बयानों में ले सकते थे परन्तु बचाव पक्ष किसी भी प्रकार का विरोधाभास या संदेह साक्षियों के बयान में ला पाने में पूर्ण रूप से असफल रहे हैं। परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत समस्त साक्षियों द्वारा दहेज की मांग किये जाने व मारपीट व प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में अपना साक्ष्य भली प्रकार से दिया गया है जिसमें किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न नहीं हो रहा है।

अतः यह स्पष्ट रूप से साबित है कि वादिनी मुकदमा गुलशन जहां से ससुराल में दहेज की मांग की गई एवं उसे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया। अब यहां यह देखा जाना है कि गुलशन जहां के ससुराल में उसके पति रिजवान द्वारा दहेज की मांग की गई एवं वादिनी के साथ मारपीट की गई अथवा अन्य सदस्यों जिनके ऊपर भी दहेज की मांग एवं प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। उनके द्वारा भी किसी प्रकार का अपराध वादिनी के विरुद्ध कारित किया गया अथवा नहीं।

वादिनी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में ससुराल में मो० रिजवान, मो० इकबाल, मीना, सुभान, सूफियान ननद नाजिया द्वारा दहेज में दो लाख रुपये नगद व मोटर

साइकिल की मांग किये जाने का कथन किया है तथा यह भी कथन किया है कि सभी लोग उसे अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे व मारपीट करते थे। मुख्य परीक्षा में गुलशन जहां द्वारा मात्र रिजवान से दहेज को लेकर लड़ाई झगड़ा होने का कथन किया गया है। किसी अन्य ससुरालीजन पर प्रत्यक्षरूप से दहेज की मांग किये जाने व प्रताड़ित किये जाने का कथन नहीं किया गया है बल्कि मुख्य परीक्षा में सामूहिक रूप से आरोप लगाया गया है परन्तु किसी भी व्यक्ति की विशिष्ट भूमिका अपराध के सम्बन्ध में नहीं बतायी गयी है। मुख्य परीक्षा में पति के अतिरिक्त अन्य ससुरालीजनों का नाम दहेज की मांग व प्रताड़ना दिया जाना मात्र उन व्यक्ति द्वारा अपराध किये जाने को साबित किये जाने हेतु पर्याप्त नहीं है। यहां यह स्पष्ट होना आवश्यक था कि किस व्यक्ति द्वारा वादिनी मुकदमा के विरुद्ध किस प्रकार का अपराध कारित किया गया है। इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य वादिनी एवं उसकी ओर से परीक्षित साक्षियों द्वारा नहीं किया गया है जिससे ससुर की किस प्रकार की भूमिका उसे प्रताड़ित करने की थी। अभियुक्त मो० रिजवान वादिनी का पति है। पति के ऊपर पत्नी की देखभाल करने का नैतिक एवं विधिक दायित्व होता है परन्तु पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वादिनी के पति मो० रिजवान द्वारा वादिनी के साथ सबसे ज्यादा दहेज की मांग की गई व उसके साथ मारपीट कारित की गई। किसी भी साक्षी के बयान में किसी प्रकार का विरोधाभास अभियुक्त रिजवान द्वारा उपरोक्त अपराध को कारित किये जाने के सम्बन्ध में नहीं है। बचाव पक्ष की ओर से मात्र यह कथन किया गया है कि अभियुक्त की ओर से वादिनी मुकदमा से किसी प्रकार के दहेज की मांग नहीं की गई और न ही उसके साथ मारपीट व प्रताड़ना की गई परन्तु अपने कथनों के सम्बन्ध में बचाव पक्ष की ओर से कोई मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिरह में भी ऐसा कोई तथ्य नहीं आ सका है जिससे किसी प्रकार का लाभ बचाव पक्ष को तर्कों को मिलता हो। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियुक्त रिजवान द्वारा वादिनी मुकदमा व उसके पति से दहेज में दो लाख रुपये व मोटर साइकिल की मांग की गई तथा इसी मांग को लेकर वादिनी मुकदमा के साथ मारपीट की गई व दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया गया।

बचाव पक्ष की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में विधि व्यवस्था **जालम व अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2014 सी०आर०एल०जे० 360 मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय** प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कथन किया गया है कि यदि वाद में मारपीट, कूरता व प्रताड़ना के सम्बन्ध में दहेज की मांग को लेकर यदि कोई विशिष्ट ब्योरे का अभाव है तो वह धारा-498ए भा०दं०सं० के अन्तर्गत आयेगा। प्रस्तुत वाद में वादिनी मुकदमा द्वारा स्पष्ट रूप से अभियुक्त रिजवान द्वारा शादी के बाद से ही दहेज में दो लाख रुपये व मोटर साइकिल की मांग किये जाने का कथन किया है तथा दि०-20.06.12 को मारपीट कर घर से निकाल देने एवं

दि0-25.06.12 को पुनः अभियुक्त रिजवान द्वारा मारपीट किये जाने के कथनों को स्पष्ट रूप से अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया है। इस प्रकार वादिनी द्वारा मारपीट व प्रताड़ित किये जाने के स्थान व समय व तरीके को स्पष्ट रूप से साबित किया है। अतः इस विधि व्यवस्था का कोई लाभ अभियुक्त को इस वाद में प्राप्त नहीं होगा।

अभियुक्त द्वारा विधि व्यवस्था **रामगनेश बनाम उ0प्र0राज्य 2015(1) जे0आई0सी0 189 (इलाहाबाद)(एल0बी0)** दाखिल की गई है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यदि किसी अन्य उपदेश हेतु धन की मांग की जाती है तो वह दहेज की श्रेणी में नहीं आयेगी। प्रस्तुत वाद में वादिनी द्वारा ऐसा कहीं कथन नहीं किया गया है कि अभियुक्त द्वारा किसी अन्य उपदेश की पूर्ति हेतु पैसे की मांग की जा रही थी बल्कि यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि अभियुक्त की ओर से उसके साथ दहेज में दो लाख रुपये व मोटर साइकिल की मांग की गई थी। जिसे किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु अभियुक्त द्वारा मांगे जाने के सम्बन्ध में बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। अतः यह साबित है कि अभियुक्त द्वारा वादिनी से दहेज की मांग की गई थी, न ही उक्त रुपये किसी अन्य उद्देश्य के सम्बन्ध में मांगे गये थे। अतः इस विधि व्यवस्था का कोई लाभ भी अभियुक्त को प्राप्त नहीं होगा।

जहां तक अभियुक्त रिजवान व अभियुक्ता सबा पर **धारा-494 भा0दं0सं0** के अन्तर्गत आरोपित किये जाने का प्रश्न है तो वादिनी को यह साबित करना होगा कि अभियुक्त मो0रिजवान ने अपने जीवनकाल में अभियुक्ता सबा से अनैतिक सम्बन्ध बनाकर पुनः विवाह कर लिया है एवं अभियुक्ता सबा द्वारा भी परिवादिनी गुलशन जहां के जीवनकाल में मो0रिजवान से सम्बन्ध बनाकर पुनः विवाह कर लिया। इस सम्बन्ध में वादिनी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि रिजवान ने अपनी दूसरी शादी सभी मुल्जिमानों के सहयोग से सबा नाम की लड़की से कर ली थी। मैंने उक्त शादी का विरोध किया और अपने माता पिता को अपनी ससुराल बुलाया। मेरी माता के समझाने के बावजूद ससुरालीजन ने दि0-20.06.12 को मेरे माता पिता की बेइज्जती करके मेरा समस्त स्त्री धन व जेवरात छीनकर सभी मुल्जिमानों ने घर से भगा दिया। वादिनी के कथनों का समर्थन वादिनी की ओर से परीक्षित साक्षियों द्वारा भी किया गया है एवं अपनी प्रतिपरीक्षा में भी मो0रिजवान द्वारा सबा से शादी कर लेने का कथन किया है परन्तु अपने कथनों के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य वादिनी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। किसी प्रकार के वैवाहिक रश्मों के होने के तथ्य को साबित नहीं किया है, न ही कोई ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे यह साबित हो सके कि मो0रिजवान व सबा द्वारा किसी सुनिश्चित तारीख व स्थान पर निकाह किया गया हो। मात्र कथन करने से वादिनी का यह तथ्य साबित नहीं हो रहा है कि मो0रिजवान द्वारा अभियुक्ता सबा से दूसरा

विवाह कर लिया गया हो। वादिनी द्वारा यह भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि उसे इस तथ्य की जानकारी कब, कैसे और किस प्रकार से हुई। मो०रिजवान व सब्बा की शादी का कोई प्रमाण वादिनी द्वारा प्रस्तुत न किये जाने से दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा-494 भा०दं०सं० का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं हो रहा है।

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि वादिनी मुकदमा गुलशन जहां यह साबित करने में सफल रही है कि अभियुक्त मो०रिजवान, जो उसका पति है, के द्वारा दहेज में दो लाख रूपये व मोटर साइकिल की मांग की गई तथा उक्त मांग के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अभियुक्त रिजवान द्वारा वादिनी के साथ मारपीट एवं प्रताड़ना कारित की गई। अतः अभियुक्त मो०रिजवान के विरुद्ध धारा-498ए, 323 भा०दं०सं० का अपराध संदेह से परे साबित है।

धारा-8ए दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार, जहां आरोप धारा-3 अथवा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का है, वहां पर यह सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर है कि उसके द्वारा दहेज नहीं लिया गया अथवा दहेज की मांग नहीं की गयी। इस प्रकार आपराधिक न्याय का सामान्य सिद्धान्त कि अपराध को सिद्ध करने का भार अभियोजन पर है, धारा-4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के मामले में लागू नहीं होगा। वादिनी को दहेज मांगने का तथ्य वाले का तथ्य केवल प्रथम दृष्टया साबित करना है जो उसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में स्पष्ट रूप से साबित किया गया है। अभियुक्त द्वारा बचाव साक्ष्य में कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही किसी प्रकार का कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। मात्र बहस में यह कथन किया गया है कि उसे मुकदमा में झूठा फंसाया गया है। चूंकि वादिनी द्वारा अपनी साक्ष्य में यह साबित किया है कि अभियुक्त द्वारा उससे दहेज की मांग की जाती थी लेकिन अभियुक्त की ओर से कोई साक्ष्य अपने बचाव में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह साबित हो सके कि अभियुक्त के द्वारा किसी प्रकार की कोई दहेज की मांग वादिनी से नहीं की गई थी। मात्र मौखिक रूप से यह कथन करने कि उसके द्वारा कोई मांग दहेज की वादिनी से नहीं की गई। धारा-4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप से उसे मुक्त करने हेतु पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार अभियुक्त के विरुद्ध धारा-4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप भी संदेह से परे साबित है।

वादिनी अभियुक्तगण मो०इकबाल व मीना के द्वारा अपराध में विशिष्ट भूमिका साबित करने में असफल रही हैं। अतः मात्र अभियुक्त रिजवान को धारा-498ए, 323 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है तथा अभियुक्तगण मो०इकबाल व मीना को धारा-498ए, 323 भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप साबित न होने के कारण दोषमुक्त किये जाने योग्य है। इसी परिप्रेक्ष्य में वादिनी अभियुक्तगण रिजवान व सब्बा पर धारा-494



भा0दं0सं0 का अपराध साबित करने में असफल रही है। अतः अभियुक्तगण मो0रिजवान व सबा को धारा-494 भा0दं0सं0 का आरोप साबित न होने के कारण दोषमुक्त किये जाने योग्य है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अभियुक्तगण के बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों के जमानत प्रपत्र निरस्त करते हुए उन्हें जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त मो0रिजवान को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये।

दिनांक-22.04.2019

Amul
22/4/19
(मीनाक्षी सौनकर)

द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उन्नाव।

अभियुक्त मो0रिजवान न्यायिक अभिरक्षा में हैं। अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से तथा उसकी ओर से उपस्थित उसके विद्वान अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त की पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोड़े जाने की प्राचना की है। अभियुक्त वादिनी का पति है। विवाह के पश्चात स्वाभाविक रूप से पति की एक अहम जिम्मेदारी होती है। वादिनी को दहेज में दिया गया सामान उसे अभी प्राप्त नहीं हुआ है। उसके द्वारा वादिनी से दहेज की मांग की गई तथा उसके साथ मारपीट की गई। ऐसी दशा में अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोड़ा जाना उचित नहीं है। अभियुक्त मो0रिजवान को निम्न दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है।

आदेश

अभियुक्त मो0रिजवान को धारा 3/4 दहेज प्रति0 अधि0 के दण्डनीय अपराध हेतु एक वर्ष के साधारण कारावास तथा 1000/-रु0 अर्धदण्ड, व्यतिक्रम की दशा में 1 माह के साधारण कारावास, धारा-498ए भा0दं0सं0 के दण्डनीय अपराध हेतु दो वर्ष के साधारण कारावास तथा 1000/-रु0 अर्धदण्ड, व्यतिक्रम की दशा में 1 माह के साधारण कारावास तथा धारा-323 भा0दं0सं0 के दण्डनीय अपराध हेतु 6 माह के साधारण कारावास तथा 500/-रु0 के अर्धदण्ड, व्यतिक्रम की दशा में 1 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण मो0इकबाल व मीना को धारा-498ए, 323 भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा अभियुक्तगण मो0रिजवान व सबा को धारा-494 भा0दं0सं0 के आरोप से

दोषमुक्त किया जाता है।

सभी मौलिक सजायें साथ-साथ चलेगी। निर्णय की प्रति उपरोक्त अभियुक्त को निःशुल्क अविलम्ब प्रदान की जाय।

दिनांक-22.04.2019

Ambar
22/4/19
(मीनाक्षी साँकर)

द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उन्नाव।

उपरोक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक-22.04.2019

Ambar
22/4/19
(मीनाक्षी साँकर)

द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उन्नाव।

1/8
मीनाक्षी
साँकर
उपरोक्त
दिनांक